भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4079
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए नीति

4079. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए नीति बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 2014 में एक कानून बनाया था और सभी राज्यों को इसे कार्यान्वित करने का निदेश दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस कानून के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत टाउन वेंडिंग समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस समिति की मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): जी, हां।

(ख): भारत सरकार ने पथ विक्रेताओं को आजीविका कमाने हेतु सहायक वातावरण प्रदान करने और बढ़ावा देने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर भीड़भाड़ की समस्या का समाधान और स्वच्छता का रखरखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनवरी, 2004 में "राष्ट्रीय शहरी पथ विक्रेता नीति" तैयार की थी।

(ग) और (घ): शहरी पथ विक्रेताओं(एसवी) के अधिकारों की रक्षा करने और पथ विक्रय की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका

संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया, जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पथ विक्रय के लिए नियम, स्कीम, उपनियम और योजना बनाकर लागू किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 3471 शहरों ने पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। आज की तारीख तक, क्रमशः 38.87 लाख और 32.59 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र(सीओवी) और आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च): पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 की धारा 22 में उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक या एक से अधिक नगर विक्रय समितियों(टीवीसी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक अधिनियम के तहत 4,342 टीवीसी का गठन किया जा चुका है। टीवीसी की बैठक आयोजित करने सहित अधिनियम के प्रावधानों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा रहा है। टीवीसी द्वारा आयोजित की जा रही बैठकों का विवरण इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

*****